तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/11/2020	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 76/2017 अनवान डूंगर सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा न. 733 रकबा 71.12 बीघा ग्राम गुडा विश्नोईयान पटवार हल्का गुडा विश्नोईयान प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का 2/5 वा हिस्सा आया हुआ है . लेकिन तत्कालीन समय मे राजस्व अधिकारियो की भूल से तेजाराम का इन्द्राज करते हुए 1/5 वा हिस्सा इन्द्राज कर दिया गया । राजस्व रेकर्ड में तेजाराम नामक व्यक्ति का गलत नाम आने की जानकारी होने पर प्रार्थी अपने हिस्से में से तेजाराम के स्थान पर डूंगर सिंह संशोधित करवाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया अप्रार्थी तहसीलदार लूणी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 733 रकबा 71.12 बीघा किस्म बारानी तृतीय मे सहखातेदारी प्रार्थी के साथ-साथ तेजाराम पि. जाति कुम्हार का 1/5 हिस्से में नाम दर्ज है सहवन से भूलवश तेजाराम का नाम दर्ज होना बताया है सहवन त्रुटि से एक रेकर्ड से दूसरे रेकर्ड में त्रुटि के यो ही दस्तावेज प्रार्थी ने पेश नहीं किये है जिसमे पहले प्रार्थी पिता का नाम प्रार्थी या उसके पिता का नाम दर्ज था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी तहसीलदार लूणी जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 733 रकबा 71.12 बीघा मे प्रार्थी के हिस्से में इन्द्राज तेजाराम पि जाति कुम्हार हिस्सा 1/5 का सहवन या त्रुटि से इन्द्राज हुआ हो।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner